संख्या-34/2024/487/12-5099/55/2022

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ०प्र०, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः** **08 मई, 2024**

विषयः- बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के समस्त विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/24/बुन्देलखण्ड प्राकृ0खेती/2024-25, दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के समस्त विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

1- उत्तर प्रदेश में वर्गीकृत 09 एग्रोक्लामेटिक जोन का बुन्देलखण्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन के समस्त 07 जनपद "रेनफेड" एरिया के अन्तर्गत आते है। रेनफेड कृषि के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग तुलनात्मक रुप से कम है, किन्तु उपज का अच्छा मूल्य कृषको को नही मिल पाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की संस्तुति तथा प्रदेश की नीति "गौ आधारित प्राकृतिक- खेती तन्त्र" को बुन्देलखण्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सघन रुप से लागू किया जाना है, जिसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शासनसदेश सं0-63/2022/2155973/435/12-5-2020-सा0-11/2022 दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा किया जा रहा है। इस विधा को अपनाने से प्राकृतिक खेती के उपज जो रसायन मुक्त होगा का बेहतर मूल्य बुन्देलखण्ड के कृषकों को मिलेगा।

गौ आधारित प्राकृतिक खेती कृषकों को कृषि उत्पादन लागत मे आत्म निर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं रसायन-पेस्टीसाइड्स मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराया जाना है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सात जनपद क्रमशः झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बाँदा एवं चित्रकूट सम्मिलित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 69000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र का अधिकतर भू-भाग पहाड़ी, पठारी तथा रेनफेड होने के कारण कृषि योग्य क्षेत्रफल तुलनात्मक रुप से औसतन कम है। अतः सीमित प्राकृतिक संशाधनों के दृष्टिगत गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषकों के आर्थिक स्थिति को नया स्वरुप प्रदान करना है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से जहाँ एक ओर कृषकों के कृषि लागत में कमी आयेगी वही दूसरी ओर मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम से सस्टेनेवल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- योजना का उद्देश्य -

- पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
- गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को टिकाऊ रखना।
- मृदा उर्वरता में सुधार करना।

3- फार्मर्स् फील्ड स्कूल -

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दृष्टिगत फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जायेगा। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राकृतिक खेती नॉलेज इन्टेसिव कृषि की विधा है, जिसे कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाने हेतु फार्मरस् फील्ड स्कूल के आयोजन की आवश्यकता है। अतः क्लस्टर गठन से पूर्व फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जाना है, जिससे कि कृषकों को सर्वप्रथम Learning by Doing के माध्यम से इस विधा को अपनाने हेतु प्रेरित हो सके। प्रत्येक फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन पर मदवार वित्तीय लागत निम्नवत् हैः-

फार्मरस फील्ड स्कूल (FFS) के आयोजन पर व्यय रू० 90800 प्रति (FFS)/क्लस्टर

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति हे० रू० में	लागत प्रति क्लस्टर रू० में
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	क्लस्टर के प्रतिभागियों के 14 प्रशिक्षण सत्रों के लिये जलपान व्यवस्था पर व्यय	हेक्टेयर	280	14000
2	प्रक्षेत्र दिवस के शुभारम्भ हेतु बैनर आदि के लिये आकस्मिक व्यय	हेक्टेयर	96	4800
3	प्राकृतिक खेती किट रू० 1200 प्रति हेक्टेयर हेतु	हेक्टेयर	1200	60000
4	साहित्य एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि	हेक्टेयर	140	7000
5	पूरे सीजन के लिये विशेषज्ञों एवं फैसिलिटेटरों के लिये मानदेय (रू० 2500 प्रति विशेषज्ञ पूरे सीजन के लिये -2 नग)	हेक्टेयर	100	5000
	योग-		**1816**	**90800**

4- चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिर्सोस पर्सन -

योजना का आरम्भ वित्तीय वर्ष 2022-23 से किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में वर्ष 2022-23 में 235 क्लस्टर का गठन किया गया है तथा द्वितीय चरण में वर्ष 2023-24 में 235 क्लस्टर गठित किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2024-25 में कुल 470 क्लस्टर में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। गठित 470 कलस्टर में चयनित चैम्पियन फार्मर (470) एवं कम्युनिटी रिसोर्स परसन (470) द्वारा गौ-आधारित प्राकृतिक खेती विधा को क्लस्टर के कृषकों द्वारा भली-भांति क्रियान्वित कराने हेतु अभिप्रेरित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- कृषकों के चयन हेतु पात्रता एवं क्लस्टर का गठन -

प्राकृतिक खेती की योजनान्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2022-23 में 235 क्लस्टर का गठन किया गया है तथा वर्ष 2023-24 में द्वितीय चरण में 235 क्लस्टर का गठन किया गया। इस प्रकार बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 470 गठित क्लस्टर में प्राकृतिक खेती पद्धति का क्रियान्वयन वर्ष 2024-25 में किया जाए। योजना के अन्तर्गत चयनित कृषको द्वारा ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्राकृतिक खेती पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कृषकों को देशी गो-वंश का गोबर एवं गोमूत्र का प्रयोग करने के लिये प्रेरित किया जाए, जिससे जीवामृत, घनजीवामृत आदि प्राकृतिक निवेशों की गुणवत्ता बनी रहे।

6- क्षमता विकास -

क्लस्टर के अन्तर्गत चयनित चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट जनपद पर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र तथा प्राकृतिक खेती के अभिनव प्रयोगकर्ताओ के क्षेत्र/खेत पर किया जायेगा। क्लस्टर गठन के उपरान्त चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा क्लस्टर के चयनित कृषकों का द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 06-06 प्रशिक्षण कराया जाए।

7- योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान -

योजना से जुड़े कृषकों को अपने प्रक्षेत्र पर निवेश तैयार करने के लिए अवंसरचना की स्थापना हेतु क्लस्टर के कृषक को द्वितीय वर्ष में रु० 9800.00 प्रति हेक्टेयर की दर से एवं तृतीय वर्ष के क्लस्टर के कृषक को रु० 2800.00 प्रति हेक्टेयर डी०बी०टी० के माध्यम से देय होगी।

8- प्रमाणीकरण-

प्राकृतिक खेती विधा के प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, गाजियाबाद से वर्तमान में प्रचलित पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण सिस्टम के अनुसार योजना अन्तर्गत प्रमाणीकरण का कार्य किया जाए।

9- मृदा परीक्षण, प्रचार- प्रसार तथा मार्केट डेवलपमेन्ट -

1- योजना के आउटकम के आकलन हेतु मृदा में जीवांश कार्बन की स्थिति एक महत्वपूर्ण इंडीकेटर है, जिसके लिये प्रत्येक कृषक के प्रक्षेत्र का वर्षवार/सीजनवार मृदा नमूना परीक्षण की आवश्यकता है।

2- प्रथम मृदा परीक्षण 12 पैरामीटर (मैक्रो एवं माइको न्यूट्रियेन्ट) पर वर्ष 2023-24 में किया गया है, जनपद स्तर से मृदा परीक्षण रिपोर्ट की आनलाइन फीडिंग स्थापित प्राकृतिक खेती डैश बोर्ड पर की गई है।

3- वर्ष 2024-25 में भी समस्त कृषकों के मृदा नमूना एकत्रीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में माह मई 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए।

4- संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण) कार्यालय से संचालित Soil Health and Fertility योजना से कन्वर्जन किया जाए।

5- प्रथम एवं अंतिम मृदा परीक्षण 12 पैरामीटर (मैक्रो एवं माइको न्यूट्रियेन्ट) एवं योजना के मध्य में 6 पैरामीटर (मैक्रो न्यूट्रियेन्ट) पर मृदा परीक्षण किया जाए।

6- योजना के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला/गोष्ठी/सेमिनार इत्यादि किया जाए।

7- प्राकृतिक उत्पाद का विपणन प्रमाणीकरण के मानक के अनुसार किया जायेगा, जिसमें एफपीओ/एफपीसी का अपेक्षित सहयोग होगा। बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में क्रियान्वित प्राकृतिक खेती पद्धति के क्लस्टरों को उनके निकटस्थ विकासखण्ड में स्थित एफपीओ/एफपीसी से जोड़कर विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नवत है :-

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में दो चरणों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना का वित्तीय विवरण (23500 हे0 क्षेत्रफल)
वर्ष– 2023–24 की जनपदवार वित्तीय प्रगति

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	जनपद का नाम	कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में	विकास खण्ड की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	क्लस्टर की सं0	प्रथम चरण		द्वितीय चरण	योग	अभ्युक्ति
						प्रथम वर्ष अवशेष	द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष		
						2023–24	2023–24	2023–24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	झांसी	311834	8	4000	80	42.09	230.61	71.59	344.29	
2	जालौन	344623	9	4500	90	20.92	266.49	90.57	377.98	
3	ललितपुर	296477	6	3000	60	25.95	186.14	69.25	281.34	
4	चित्रकूट	173802	5	2500	50	23.28	138.43	48.46	210.17	
5	बांदा	349259	8	4000	80	39.79	194.11	86.69	320.59	
6	हमीरपुर	299103	7	3500	70	39.44	195.46	78.58	313.81	
7	महोबा	236239	4	2000	40	13.59	101.06	47.52	162.17	
		2011337	**47**	**23500**	**470**	**205.05**	**1312.30**	**492.66**	**2010.34**	
	परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासकीय व्यय 2% HQ								28.03	
	महायोग –								**2038.37**	

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (माइ0प्यो0)
कृषि भवन, लखनऊ

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में दो चरणों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना का वित्तीय विवरण (23500 हे0 क्षेत्रफल)

वर्ष – 2024-25

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में	विकास खण्ड की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	क्लस्टर की सं0	प्रथम चरण		द्वितीय चरण		योग	अभ्युक्ति
						द्वितीय वर्ष अवशेष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अवशेष	द्वितीय वर्ष		
						2024–25	2024–25	2024–25	2024–25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	झांसी	311834	8	4000	80	9.45	112.10	13.24	259.44	**394.23**	
2	जालौन	344623	9	4500	90	23.73	126.11	5.52	291.87	**447.24**	
3	ललितपुर	296477	6	3000	60	8.07	84.08	0	194.58	**286.72**	
4	चित्रकूट	173802	5	2500	50	21.39	70.06	2.83	162.15	**256.44**	
5	बांदा	349259	8	4000	80	69.85	112.10	13.24	259.44	**454.63**	
6	हमीरपुर	299103	7	3500	70	12.74	98.09	0.16	227.01	**338.01**	
7	महोबा	236239	4	2000	40	28.41	56.05	0	129.72	**214.18**	
		2011337	**47**	**23500**	**470**	**173.65**	**658.59**	**34.99**	**1524.21**	**2391.44**	
	परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासकीय व्यय 2%					0	13.17	0	30.48	**43.66**	
	महायोग –					**173.65**	**671.76**	**34.99**	**1554.69**	**2435.09**	

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (माइ0प्यो0)
कृषि भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रथम एवं द्वितीय चरण वर्ष 2024–25

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन की वर्षवार एवं कार्य मदवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (23500 हे0 क्षेत्रफल)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम चरण				द्वितीय चरण				कुल योग		अभ्युक्ति
				प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023–24)		तृतीय वर्ष कार्य (2024–25)		प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023–24)		द्वितीय वर्ष कार्य (2024–25)				
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रू0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 1 FFS)	हेक्टेयर	1816	0	0	0	0	1336	24.33	0	0	1336	24.33	
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	60000	0	0	11750	141.00	0	0	11750	141.00	23500	282.00	
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	0	0	0	0	932	4.66	0	0	932	4.66	
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 60 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	600	0	0	0	0	4000	6.00	11750	35.25	15750	41.25	
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये बी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु													
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	986	11.83	11750	141.00	0	0	11750	141.00	24486	293.83	
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छन्ना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	986	59.16	0	0	0	0	11750	705.00	12736	764.16	
5.3	हरी खाद(ढैंचा मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	986	11.83	11750	141.00	0	0	11750	141.00	24486	293.83	
5.4	प्राकृतिक खेती में तैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	986	9.86	0	0	0	0	11750	117.50	12736	127.36	
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)	हेक्टेयर	800	986	3.94	11750	47.00	0	0	11750	47.00	24486	97.94	
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर												
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)	हेक्टेयर	300	4250	12.75	0	0	0	0	11750	35.25	16000	48.00	
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज @Rs 700 प्रति हेक्टेयर चार वर्षों के लिए (रू0 700 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एवं रू0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)	हेक्टेयर	700	4250	29.75	11750	82.25	0	0	11750	82.25	27750	194.25	

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम चरण				द्वितीय चरण				कुल योग		अभ्युक्ति
				प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023–24)		तृतीय वर्ष कार्य (2024–25)		प्रथम वर्ष अवशेष कार्य (2023–24)		द्वितीय वर्ष कार्य (2024–25)				
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
6.3	रेजदयू एनालिसिस @ 3 मृदा नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	300	0	0	11750	35.25	0	0	0	0	11750	35.25	
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0													
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 467 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	1385	5250	24.52	11750	47.00	0	0	11750	54.87	28750	126.39	
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	300	10000	10.00	11750	11.75	0	0	11750	11.75	33500	33.50	
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण @ Rs 105/ प्रति मृदा नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु(प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित)	हेक्टेयर	315	0	0	11750	12.34	0	0	11750	12.34	23500	24.68	
	योग– (ब)				173.65		658.59		34.99		1524.21		2391.44	
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%				0		7.90		0		18.29		26.19	
					0		5.27		0		12.19		17.46	
	महायोग				173.65		671.76		34.99		1554.69		2435.09	

(बी0 सिंह)
अपर कृषि निदेशक (बा0ब्यो0)
कृषि भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- योजना क्रियान्वयन एवं अन्य विभागों से समन्वय-

- बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती योजना का कियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा योजना का नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के मार्ग दर्शन में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा अपर कृषि निदेशक (चावल) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

12- योजना के अन्तर्गत कार्य सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया:-

- समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों को दी जाने वाली सहायता DBT (Direct Benefit Transfer) के अन्तर्गत हस्तांतरित की जाए।
- योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का 100% सत्यापन क्लस्टर के नोडल अधिकारी, 20% सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक जनपद 5% कार्यों का सत्यापन किया जाए।

13- योजना की समीक्षा-

- योजना का विवरण आनलाइन/विभागीय वेबसाइट पर रखा जाए।
- क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर के नोडल अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट जनपद के उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाए। (परिशिष्ट-2 संलग्न)
- जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे, जो जनपद की संकलित सूचना मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0) को प्रत्येक माह की 5 तारीख को उपलब्ध करायेंगे। (परिशिष्ट-2 संलग्न)
- राज्य स्तर से सूचनाओं को संकलित कराकर कृषि निदेशक उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी।

14- प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश:-

1- योजनान्तर्गत सर्वप्रथम उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा, जिनके पास अधिक कृषित क्षेत्रफल हो तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के स्थान पर ऐसे कृषकों के आंशिक क्षेत्रफल को ही सम्मिलित किया जाए।

2- एक फार्मरस् फील्ड स्कूल (FFS) का आयोजन यथा सम्भव ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा अन्यथा की दशा में आस-पास के दो ग्राम पंचायतो को मिलाकर उस स्थान पर किया जायेगा, जहाँ पर क्लस्टर गठित किये गये हैं।

3- फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन उन कृषकों के प्रक्षेत्र पर किया जाए, जो कि पूर्व से प्राकृतिक विधा से खेती कर रहे हैं तथा ऐसे कृषकों को क्लस्टर के अन्तर्गत भी चयनित किया गया है।

4- फार्मरस् फील्ड स्कूल आयोजन के अन्तर्गत एक्सपर्ट एवं फेसेलिटेटर के लिए प्राकृतिक खेती में अनुभव प्राप्त कृषक एवं अन्य एक्सपर्ट को हायर किया जाए।

5- योजना के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुमोदन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6- अवशेष फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन खरीफ 2024/रबी 2024-25 में किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- क्लस्टर का गठन जहां तक सम्भव हो संहत क्षेत्र (Compact Area) में किया जाए।

8- प्रत्येक क्लस्टर में एक कार्यवाही रजिस्टर होना अनिवार्य है, जिसमें क्लस्टर में की जा रही गतिविधियों एवं क्रियाकलापों, फसलों एवं उत्पादों के साथ कृषकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दर्ज की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रगति प्रतिवेदन–

परिशिष्ट–2

बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक खेती की योजना
कार्य मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष– 2024–25

जनपद का नाम-

दिनांक-

क0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रू0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षत्र में 1 FFS)					
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)					
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु					
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक **प्रथम 2 वर्षों हेतु**					
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु					
5.1	देशी बीज प्रबन्धन/Rs. 3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रू0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)					
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)/Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में					

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0चो0)
कृषि भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)					
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्चर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में					
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)					
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षे हेतु					
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)					
6.2	पी0जी0एस0 एवं रिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज @Rs 700.00 प्रति हेक्टेयर चार वर्षो के लिए (रू0 700.00 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एव रु0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)					
6.3	रेजड्यू एनालिसिस @ 3 मृदा नमूना/100 हेक्टेयर क्षेत्रफल/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रु0 10000.00 प्रति नमूना)					

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0)
कृषि भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक		वित्तीय		अभ्युक्ति
		पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0					
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 467.00 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400.00 प्रति हे0					
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)					
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण @ Rs 105/- प्रति मृदा **नमूना/प्रति कृषक/प्रति वर्ष तीन वर्षों हेतु (प्रति क्लस्टर 50 कृषक अनुमानित)**					
कुल योग –						
प्रशासनिक व्यय / परियोजना प्रबंधन लागत 2% -						
महायोग -						

(आर0 बी0 सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0)
कृषि भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।